

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं0सं0-17/डी1-05/2026

पटना, दिनांक- / /2026

डॉ० ज्योतिमय, रीडर (संविदा), आर्थोडॉन्टिक्स विभाग, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प-1003 दिनांक-22.01.2021 एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-325(17) दिनांक-15.03.2021 में निहित प्रावधान के आलोक में प्रथम संतान हेतु दिनांक-17.08.2026 से 31.08.2026 (कुल-15 दिन) तक की अवधि में उपभोगित अवकाश को पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
-सह-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-17/ डी1-05/2026 - 12/7/17) पटना, दिनांक :-21/09/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

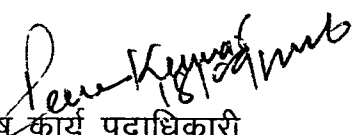
प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० ज्योतिमय, रीडर (संविदा), आर्थोडॉन्टिक्स विभाग, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी
-सह-
संयुक्त सचिव
Hks